राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 13(12)राज/ग्रुप–1/90/पार्ट–3 जयपुर, दिनांक अक्टूबर 10, 2007

परिपत्र

भू प्रबन्ध कार्य प्रारम्भ करने के लिये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 106 एवं 107 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जाती है। इस अधिसूचना के अनुसरण में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तहसील से अभिलेख प्राप्त कर सर्वे की कार्यवाही शुरू की जाती है। अक्सर यह देखने में आया है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध की अन्तिम मिसल बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी की सरकारी प्रति प्राप्त कर तरमीम/सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो जाता है एवं इसी अभिलेख के आधार पर भू प्रबन्ध संक्रियां बन्द होने तक भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कार्य किया जाता है। अक्सर भू प्रबन्ध विभाग को भू प्रबन्ध कार्य पूरा करने में 10 वर्ष से ज्यादा का समय लग जाता है। इस अवधि में भू प्रबन्ध विभाग अपने पुराने अभिलेख के आधार पर कार्यवाही करता है जब कि मौके की स्थिति एवं अभिलेख में बेचान, उत्तराधिकार, न्यायालय आदेश एंव अन्य कारणों से काफी परिवर्तन हो जाता है। इस तरह भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किये गये अभिलेख एवं मौके की स्थिति में काफी अन्तर होता है। इससे काफी विवाद भी उत्पन्न होने की सम्भावना भी रहती है।

वर्तमान में जमाबन्दी पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत की जा चुकी है एवं यह डेटा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में उपलब्ध है। इस अभिलेख को नियमित तौर पर तहसील स्तर पर आदिनांक किया जाता है। आदिनांक डेटा तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर एवं " अपना खाता" वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अगर इस डेटा को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा काम में लिया जाता है यह डेटा नवीनतम होगा एवं मौके की स्थिति एवं भू प्रबन्ध विभाग के पास उपलब्ध डेटा में कोई अन्तर नहीं होगा। चूंकि यह सभी डेटा कम्प्यूटरीकृत है, अतः साफ्ट वेयर के माध्यम से परचा खतोनी एवं परचा लगान तैयार किया जा सकता है। भू प्रबन्ध विभाग का परचा खतोनी, परचा लगान एवं मिसल बन्दोबस्त तैयार करने में जो समय लगता है, वह भी बच जायेगा। इसके अतिरिक्त भू प्रबन्ध संक्रिया बन्द करने के बाद एक सोफ्टवेयर के माध्यम सें मिसल बन्दोबस्त तैयार करने, जिला कलेक्टर द्वारा इस डेटा की पुनः तहसील डेटा बेस में फीड करने एवं पटवारी द्वारा जमाबन्दी पुनः लिखने का कार्य को आसानी से किया जा सकता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान द्वारा इस डेटा बेस से परचा खतोनी, परचा लगान जारी करने एवं मिसल बन्दोबस्त तैयार करने का सोफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है जिसका जयपुर जिले में परीक्षण भी किया गया है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि भू प्रबन्ध कार्य में कम्प्यटरीकृत डेटा का उपयोग करने के लिये निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जाये:–

1. भू प्रबन्ध विभाग अब तहसीलों से पुरानी जमाबन्दी की प्रति नहीं लें। जिस भी गांव का सर्वे किया जाना हो उस गांव का नवीनतम प्रिंट आउट या इलेक्ट्रोनिक कॉपी कम्प्यूटर से प्राप्त करें एवं उसके अनुसार ही सर्वे का कार्य करें।

2. जब सर्वे का कार्य पूरा हो जाये तो परचा लगान एवं परचा खतोनी जारी के समय सम्बन्धित ग्राम के डेटा बेस से तैयार कर जारी किया जाये। इस सम्बन्ध में भू प्रबन्ध अधिकारी वर्तमान में नवीन खसरा नम्बर एवं उसका मिलान क्षेत्रफल तैयार कर लें। एन. आई. सी. द्वारा एक सोफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसके आधार पर इस सूचना एवं तहसील के डेटा बेस से परचा लगान एवं परचा खतोनी आसानी से प्रिट किये जा सकते है। इससे समय की काफी बचत होगी। परचा लगान भी नवीनतम अभिलेख के अनुसार वास्तविक खातेदार के नाम ही जारी होगा।

3. परचा लगान व परचा खतोनी पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उनके अभिलेख को अन्तिम रूप दे दिया जाता है एवं इसके बाद मिसल बन्दोबस्त जारी की जाती है। एन. आई. सी. द्वारा इस सम्बन्ध में एक सोफ्टवेयर तैयार किया गया है ताकि इस डेटा बेस से मिसल बन्दोबस्त प्रिंट की जा सके।

4. मिसल बन्दोबस्त के बाद पटवारी द्वारा जमा-बन्दी तैयार की जाती है। मिसल बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी भी इस डेटा बेस से तैयार की जा सकती है।

(ललित कोठारी)
प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

प्रतिलिनि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
2. आयुक्त, भू प्रबन्ध विभाग, जयपुर।
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त भू प्रबन्ध अधिकारी, राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव